(120)

नगर विकास एवं आवास विभाग में राशि के आवंटन एवं निकासी से संबंधित कठिनाइयों के निराकरण हेतु दिनांक 23.07.2019 को सचिव (व्यय), वित्त विभाग की अध्यक्षता में आयोजित बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति –

सचिव (व्यय), वित्त विभाग।

श्री कामेश्वर ओझा, संयुक्त आयुक्त (लेखा), वित्त विभाग।

श्री अजय कुमार ठाकुर, उप बजट नियंत्रक, वित्त विभाग।

श्री प्रकाश मिश्रा, सीएफएमएस, प्रतिनिधि/श्री सुमित कुमार, टीसीएस, प्रतिनिधि

श्री सर्वेन्दु कुमार, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग।

श्री धर्मेन्द्र कुमार साह, सहायक, नगर विकास एवं आवास विभाग।

श्री अजीत कुमार, लेखापाल, नगर विकास एवं आवास विभाग।

दिनांक 01.04.2019 से राज्य में वित्तीय व्यवस्था की नई प्रणाली CFMS को प्रारंभ किया गया है। नगर विकास एवं आवास विभाग की संचिका संख्या– 2ब०/सड़क–09–01/2019 में CFMS व्यवस्था में राशि के आवंटन एवं निकासी की व्यवस्था में आ रही कठिनाइयों के संदर्भ में परामर्श की मांग की गयी है। उक्त के आलोक में नगर विकास एवं आवास विभाग के कठिनाइयों को दूर करने हेतु सचिव (व्यय), वित्त विभाग की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गयी। बैठक में निम्नलिखित निर्णय/परामर्श दिये गये।

2. नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा निर्गत स्वीकृत्यादेश में निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित नगर निकाय को बनाया गया है परंतु वित्त नियमावली के नियमों के अनुसार राशि की निकासी विभाग स्तर से करते हुए संबंधित नगर निकायों के पी एल खाता में हस्तांतरित की जायेगी। इस संदर्भ में प्रशासी विभाग आवश्यकतानुसार स्वीकृत्यादेश में संशोधन हेतु शुद्धि पत्र निर्गत करने हेतु सक्षम है।

3. नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा सहायक अनुदान की राशि की निकासी के संदर्भ में BTC फॉर्म के बारे में परामर्श की मांग की गयी है। उक्त के संदर्भ में बताया गया कि चूंकि नगर विकास एवं आवास विभाग अंतर्गत राशि के हस्तांतरण नगर निकायों के PL खाता में किया जाता है। इसलिए इस राशि को BTC फॉर्म 46 अर्थात इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर विपत्र पर निकासी की जायेगी।

4. विभाग द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र की बाध्यता के संदर्भ में परामर्श की मांग की गयी है। जिसके आलोक में बताया गया कि चूंकि राशि को BTC फॉर्म 46 अर्थात इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर किया जा रहा है। इसलिए 18 माह पुराने राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र लंबित रहने के स्थिति में भी अगली निकासी बाधित नहीं होगी, परंतु प्रशासी विभाग अपने स्तर से आवंटित राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रतिहस्ताक्षरित करते हुए महालेखाकार को प्रेषित करेंगे।

(हस्ताक्षर) 23/7 श्री अजीत कुमार, लेखापाल, नगर विकास एवं आवास विभाग।	(हस्ताक्षर) 23/7/2019 श्री धर्मेन्द्र कुमार साह, सहायक, नगर विकास एवं आवास विभाग।	(हस्ताक्षर) 23/7 श्री सर्वेन्दु कुमार, निकासी एवं व्ययन पदा०, नगर विकास एवं आ० विभाग।	(हस्ताक्षर) 23.7.19 श्री सुमित कुमार, टीसीएस, प्रतिनिधि
(हस्ताक्षर) 23/7/19 श्री प्रकाश मिश्रा, सीएफएमएस, प्रतिनिधि।	(हस्ताक्षर) 23/7/19 श्री अजय कुमार ठाकुर, उप बजट नियं०, वित्त विभाग।	(हस्ताक्षर) 23.7.2019 श्री कामेश्वर ओझा, संयुक्त आ० (लेखा), वित्त विभाग।	(हस्ताक्षर) 23.7.19 सचिव (व्यय), वित्त विभाग।